☎ : (कार्या.) 221900, (निवास) 222622
फैक्स : 07582 - 222070, 224543

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सागर (म.प्र.)

OFFICE OF THE COLLECTOR & DISTT. MAGISTRATE SAGAR (M.P.)

क्रमांक 74 / री.जि.दण्डा. / 2020 सागर, दिनांक 25–03–2020

आदेश

इस कार्यालय के द्वारा नोबल कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत आदेश क्रमांक 2846 / री.जि. दण्डा. / 2020 दिनांक 21–03–2020 एवं म0प्र0 पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के अंतर्गत व्यापक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं तथा आदेश क्रमांक 67 / री.जि.दण्डा. / 2020 दिनांक 23–03–2020 से संपूर्ण सागर जिले की राजस्व सीमा में दिनांक 25–03–2020 तक संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है । चूंकि केन्द्रीय गृह सचिव, भारत सरकार, गृह मामलों के मंत्रालय के द्वारा अपने आदेश क्रमांक 40–3 / 2020–DM-I(A) दिनांक 24–03–2020 के द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 6(2)(i) के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1–29 / 2020–PP (Pt.II) दिनांक 24–03–2020 से दिये गये निर्देशों के अंतर्गत आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 10(2)(1) के अंतर्गत दिशा निर्देश जारी करते हुए दिनांक 25–03–2020 से 21 दिवस की अवधि के लिए उक्त दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किये जाने हेतु आदेश जारी किया गया है । अतः संपूर्ण सागर जिले की राजस्व सीमा मे आज दिनांक 25–03–2020 से 21 दिवस की अवधि के लिए (दिनांक 14–04–2020 तक) संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया जाता है ।

उक्त लॉकडाउन का विस्तार एवं अपवाद अथवा प्रतिबंधों में शिथिलता निम्नानुसार होगी :–

1. सागर जिले में स्थित भारत शासन के कार्यालय (स्वशासी / अधीनस्थ कार्यालय एवं लोक निगम) बंद रहेंगे ।
   – रक्षा, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल, कोषालय, लोक सुविधा, जिनमें पैट्रोलियम, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी शामिल है, आपदा प्रबंधन, पॉवर उत्पादन एवं वितरण ईकाईयां, पोस्ट आफिस, जिला सूचना विज्ञान केन्द्र एवं पूर्व चेतावनी एजेन्सियां इसका अपवाद रहेंगी अर्थात उक्त कार्यालय / संस्थान खुले रहकर कार्यरत रहेंगे ।
2. सागर जिले में स्थित म0प्र0 शासन के कार्यालय (स्वशासी / अधीनस्थ कार्यालय एवं लोक निगम) बंद रहेंगे ।
   – पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन एवं आपात कालीन सेवायें, आपदा प्रबंधन, जेल, जिला प्रशासन, कोषालय, विद्युत आपूर्ति, पेयजल आपूर्ति, साफ–सफाई, समस्त नगरीय निकाय के कार्यालय इसका अपवाद रहेंगी अर्थात उक्त

COLLECTOR
SAGAR

Scanned with CamScanner

कार्यालय/संस्थान खुले रहकर कार्यरत रहेगें । (नगरीय निकाय केवल साफ–सफाई, पेयजल आपूर्ति जैसी अत्यावश्यक सेवाओं के लिए आवश्यक स्टाफ के साथ कार्य करेंगे)

उपर्युक्त क्रमांक 1 एवं 2 में उल्लेखित कार्यालय अपने न्यूनतम आवश्यक कर्मचारियों के साथ कार्य करेंगे अन्य सभी कार्यालय अपने निवास से कार्य चालू रख सकेगें।

3. सागर जिले में स्थित समस्त शासकीय एवं निजी क्षेत्र मे संचालित अस्पताल एवं अन्य संबंधित चिकित्सा संस्थान, जिनमें उत्पादन एवं वितरण ईकाइयां शामिल है, यथा डिस्पेंसरीज, कैमिस्ट एवं चिकित्सा उपकरणों की दुकान, लेबोरेटरीज, क्लीनिक, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस इत्यादि पूर्ववत खुले एवं कार्यरत रहेगें। समस्त चिकित्सा कर्मियो, नर्सो, पैरामेडिकल स्टाफ, अन्य सहायक अस्पताल सेवायें भी अनुमत्य रहेंगी ।

– समस्त मेडिकल स्टोर्स 24X7 खुले रह सकते है, किन्तु समस्त मेडिकल स्टोर्स संचालक दवा विक्रय के समय उपभोक्ताओं के मध्य सोशल डिस्टेंसिंग के उद्देश्य से दो उपभोक्ताओं के मध्य न्यूनतम एक मीटर की दूरी रखकर लाइन बनाकर दवा विक्रय करना सुनिश्चित करेंगे ।

4. समस्त व्यावसायिक एवं निजी संस्थान बंद रहेंगे–

– सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित राशन की दुकाने, किराना, फल एवं सब्जी, डेयरी एवं मिल्क बूथ, मांस एवं मछली, पशु चारे की दुकाने निम्न प्रावधानों के अंतर्गत खुली रहेगी –

- सागर नगर में स्थित मुख्य थोक सब्जी/फल मंडी से मात्र फुटकर विक्रेताओं/ठेलेवालों को ही सब्जियों का विक्रय किया जावेगा अर्थात सीधे उपभोक्ताओं/आमजनता को थोक सब्जी मंडी से विक्रय प्रतिबंधित रहेगा । ठेले वाले अपने चलित ठेलों के माध्यम से विभिन्न आवासीय क्षेत्रों में संपूर्ण दिवस सब्जियों/फलो के विक्रय हेतु अनुमत्य रहेगे, किन्तु फुटकर सब्जी विक्रेता/एकल ठेला एक स्थान पर दो से अधिक खडे होना प्रतिबंधित रहेगा ।

  – नगर निगम आयुक्त सब्जी, फल विक्रय स्थलों की सफाई, उन्हें संक्रमण मुक्त करना (सेनेटाईज) करना सुनिश्चित करेगें।

- समस्त किराना दुकानें प्रात: 7.00 बजे से प्रात: 9.00 बजे तक खुली रहेंगी, किन्तु एक स्थान पर पांच से अधिक ग्राहक एक समय मे एकत्रित न हो ऐसा दुकान संचालक सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक दो ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के उद्देश्य से न्यूनतम एक मीटर की दूरी रखना सुनिश्चित करेंगे । इस उद्देश्य से जिला प्रशासन की ओर से भी स्वयं सेवकों/कर्मचारियों की नियुक्ति की जावेगी। नगर निगम आयुक्त इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किराना दुकानों के समक्ष एक–एक मीटर की दूरी पर गोल घेरे पेन्ट अथवा चूने से बनाना सुनिश्चित करेंगे ।

  – समस्त इच्छुक किराना व्यापारी आर्डर पर किराना सामग्री होम सप्लाई अधिकतम 20 रू0 के चार्ज पर संबंधित के निवास पर कर सकेगें। इसके लिए वे डिलेवरी बॉय एवं वाहन का पास जिला कार्यालय से बनवा सकेगें।

- समस्त आटा चक्कियां खुली रहेगी ।
- निर्मित खाद्य सामग्री की होम डिलेवरी करने वाली रजिस्टर्ड कंपनियों की सेवायें चालू रहेगी किन्तु उक्त सेवाओं के संचालक डिलेवरी बॉय के सेनेटाईजेशन,

COLLECTOR
SAGAR

Scanned with CamScanner

मास्क इत्यादि की व्यवस्था उक्त खाद्य सामग्री वितरण करने के पूर्व सुनिश्चित करेंगे ।

- बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम खुले रहेंगे ।
- प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूरसंचार, इंटरनेट सेवायें, ब्राडकास्टिंग, केबल सेवायें तथा आवश्यक सेवाओं के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सेवायें खुली एवं संचालित रहेंगी।
- समस्त अत्यावश्यक वस्तुयें जिनमें खाद्य सामग्री, फार्मास्यूटीकल्स, चिकित्सा उपकरणों की ई-कार्मस के जरियें सेवायें संचालित रहेंगी।
- समस्त पैट्रोल पंप, एलपीजी, पैट्रोलियम एवं रसोई गैस एजेंसी एवं उनके स्टोरेज खुले रहेंगे ।
- पॉवर उत्पादन, पारेषण एवं वितरण ईकाइयां तथा उनकी सेवायें खुली एवं चालू रहेंगी ।
- कोल्ड स्टोरेज तथा वेयर हाउस चालू रहेंगे ।
- निजी सुरक्षा (सीक्यूरिटी) सेवायें चालू रहेगी ।

5. सागर जिले में समस्त सड़क परिवहन निलंबित रहेगा ।

   – अत्यावश्यक सामग्री के परिवहन, अग्निशमन, कानून एवं व्यवस्था, चिकित्सा सेवाओं, स्थानीय निकायों, दवा सामग्री के परिवहन में संलग्न वाहन एवं अन्य आपातकालीन सेवाओं में संलग्न वाहन इसका अपवाद रहेंगे ।
6. सागर जिले के समस्त होटल, रेस्टोरेन्ट, लॉज इत्यादि बंद रहेंगे ।
7. सागर जिले के समस्त शैक्षणिक, प्रशिक्षण, रिसर्च, कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे।
8. सागर जिले के सभी धर्मो के धर्म स्थल जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे । कोई भी धार्मिक समागम अनुमत्य नहीं होगा ।
9. सागर जिले में समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम एवं समागम पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे ।
10. किसी व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में उसके अंतिम संस्कार हेतु 20 से अधिक व्यक्तियों का इकठ्ठा होना प्रतिबंधित रहेगा ।
11. दिनांक 15-02-2020 के पश्चात् सागर जिले में आये एवं ऐसे समस्त व्यक्ति जिन्हें स्वास्थ्य विभाग के द्वारा होम आईसोलेशन अथवा क्वारंटाईन में एक निश्चित समयावधि में रहने हेतु निर्देशित किया गया है, यदि उक्त निर्देशों का पालन करने में असफल रहते हैं तो उनके विरूद्ध भा0द0स0 की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
12. संपूर्ण सागर जिले में अनुमत्य अवधि में स्वास्थय कारणों को छोड़कर एक मोटर साईकिल/स्कूटर/साईकिल पर एक से अधिक व्यक्ति तथा कार/जीप इत्यादि वाहनों में दो से अधिक व्यक्ति बैठाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । कार/जीप में चालक के अलावा दूसरा व्यक्ति पीछे की सीट पर बैठेगा ।
13. सागर जिले से बाहर जाने वाले समस्त व्यक्तियों को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) के द्वारा पास जारी किये जावेंगे तथा जिले की सीमा के अंतर्गत एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में जाने वाले व्यक्तियों को पास यात्रा प्रारंभ करने के अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा जारी किये जावेंगे ।
14. इस आदेश में उल्लेखित तथा अन्यथा जहां कहीं भी पास की आवश्यकता हो, पास संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा जारी किये जावेंगे ।

COLLECTOR
SAGAR

Scanned with CamScanner

15. चूंकि वर्तमान में गेहूं की फसल कटाई का समय चल रहा है, अतः हार्वेस्टर का संचालन अनुमत्य रहेगा तथा जो कृषक श्रमिकों के माध्यम से फसल कटाई करवाना चाहते है, वे यह सुनिश्चित करेंगे कि पांच से अधिक श्रमिक उक्त कार्य में नियोजित न हो तथा उक्त श्रमिकों के मध्य सोशल डिस्टेंसिंग के उद्देश्य से न्यूनतम एक मीटर की दूरी रखना एवं आवश्यक मास्क, सैनेटाईजेशन सुनिश्चित करेगें ।

जो कोई भी व्यक्ति उक्त निर्देशों का उल्लंघन करेगा वह आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60, सहपठित भा0द0सं0 की धारा 188 के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही हेतु उत्तरदायी होगा ।

(प्रीति मैथिल नायक)
कलेक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट
जिला–सागर (म0प्र0)

पृ.क्रमांक / 74 / री.जि.दण्डा. / 2020 सागर, दिनांक 25 / 03 / 2020

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,भोपाल।
3. कमिश्नर सागर संभाग सागर ।
4. पुलिस महानिरीक्षक सागर रेंज सागर ।
5. पुलिस अधीक्षक सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। पुलिस विभाग के समस्त अधिकारियों / थाना प्रभारियों को आदेश की प्रति प्रेषित कर पालन सुनिश्चित करायें। थाना प्रभारियों को निर्देशित करें कि वे उक्त आदेश का प्रचार प्रसार लाउड स्पीकर से कराये व प्रमुख स्थानों पर आदेश की प्रति चस्पा करायें।
6. अपर जिला दण्डाधिकारी सागर ।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सागर ।
8. आयुक्त नगर पालिक निगम सागर / मुख्य कार्यपालन अधिकारी केन्ट बोर्ड सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु, उक्त आदेश का प्रचार प्रसार लाउड स्पीकर से कराये व प्रमुख स्थानों पर आदेश की प्रति चस्पा करायें।
9. नगर दण्डाधिकारी सागर ।
10. अनुविभागीय दण्डाधिकारी समस्त जिला सागर ।
11. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक आदेशानुसार पालनार्थ।
12. नगर पुलिस अधीक्षक सागर / अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) समस्त जिला सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु उपरोक्त आदेश का पालन कड़ाई से करावें एवं तत्काल लाउड स्पीकर द्वारा प्रचार–प्रसार करावें ।
13. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु उक्त आदेश का पालन अपने अधिनस्थ समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारियों से पालन करायें।
14. सिविल सर्जन एवं अस्पताल अधीक्षक सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु उक्त आदेश का पालन अपने अधिनस्थ समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारियों से पालन करायें।

Scanned with CamScanner

15. अधिष्ठाता बुन्देल खण्ड मेडीकल कालेज सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु उक्त आदेश का पालन अपने अधिनस्थ चिकित्सा अधिकारियों से पालन करायें।

16. स्टेशन प्रबंधक, पश्चिम मध्य रेल्वे सागर, बीना, मकरोनिया, खुरई, जिला सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। उपरोक्त आदेश का पालन कड़ाई से करावें एवं तत्काल लाउड स्पीकर द्वारा प्रचार-प्रसार करावें।

17. कार्यपालिक मजिस्ट्रेट / तहसीलदार / नायब तहसीलदार समस्त जिला सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

18. प्रभारी अधिकारी पुलिस कन्ट्रोल रूम सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

19. निर्देशक आकाशवाणी केन्द्र सागर की ओर उक्त आदेश का प्रसारण हेतु अग्रेषित।

20. उपसंचालक सूचना एवं प्रकाशन सागर की ओर उक्त आदेश समाचार पत्रों के माध्यम से निःशुल्क प्रचार हेतु अग्रेषित ।

21. जिला कार्यालय प्रमुख ....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

22. थाना प्रभारी समस्त जिला सागर की ओर अपने प्रभार क्षेत्र में उक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराये जाने हेतु प्रेषित ।

कलेक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट
जिला-सागर (म0प्र0)

Scanned with CamScanner